# बिहार सरकार

## लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

### संकल्प

संख्या-11/आ०2-1090/2024- 1041 पटना, दिनांक- 22/5/25

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अन्तर्गत जिला प्रशासन के स्तर से करायी गयी जाँच में 1384 अदद योजनाएँ अक्रियाशील पाये जाने, ZOD के तहत किये गए स्थल निरीक्षण में पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित कुल 151 योजनाओं में से 07 योजनाएँ बन्द पाये जाने, 58 योजनाएँ मरम्मति के अभाव में बन्द रहने एवं कुल निरीक्षित 1264 चापाकलों में से 167 चापाकल अक्रियाशील पाये जाने तथा CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों को बिना निष्पादन किये ही पोर्टल पर निष्पादित दिखाने के आरोप के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-138-सह-पठित ज्ञापांक-139, दिनांक-15.01.2025 द्वारा श्री अंबिका प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया।

*02.* निलंबन के पश्चात श्री मंडल के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-514, दिनांक-03.03.2025 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्री मंडल के पत्रांक-शून्य, दिनांक-18.03.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जाँच दल के निरीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियाँ श्री मंडल के संज्ञान में नहीं थी। श्री मंडल का यह कहा जाना की सभी त्रुटियाँ समान्य श्रेणी की है, स्वीकार योग्य नहीं है। योजनाओं के बन्द रहने के बावजूद संबंधित संवेदक, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के विरूद्ध श्री मंडल के स्तर से क्या कठोर कार्रवाई की गयी, के संबंध में श्री मंडल के स्पष्टीकरण में कोई उल्लेख/साक्ष्य नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या-543, दिनांक-28.02.2021 एवं संकल्प संख्या-1676, दिनांक-12.08.2024 में निहित प्रावधानों के तहत जलापूर्त्ति योजनाओं में साधारण मरम्मति का कार्य 24 घंटे के अन्दर एवं असधारण मरम्मति का कार्य 3-5 दिनों के अन्दर कराते हुए जलापूर्त्ति को सुचारू रूप से बहाल किया जाना है। साथ ही इस तरह के किसी भी समस्या के निराकरण हेतु कार्यपालक अभिंयता को समीक्षा पदाधिकारी के रूप में नामित करते हुए जलापूर्त्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री मंडल के स्तर से जलापूर्त्ति योजनाओं के निरीक्षण में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती गयी। फलतः श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

*03.* वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री मंडल के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आधार पर बिहार

सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

*04.* आरोपित श्री मंडल, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

*05.* जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

***आदेश:***-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री अंबिका प्रसाद मंडल, निलंबित कार्यपालक अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मो० जुबैर, कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-05, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2 1090/2024- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक–11/आ०2-1090/2024– 1041 पटना, दिनांक- 22/5/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री अंबिका प्रसाद मंडल, निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.05.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

21/5/25